न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-124/2017-2018

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री राकेश केशरी उर्फ टनटन, पिता-तारूक कुन्दन
   सा0-शांति चौक, तीन मंजिल, वार्ड नं0-13, विराटनगर, (नेपाल)
2. श्री भोला पासवान, पिता-स्व0 महावीर पासवान
   सा0-वार्ड नं0-24, बंगाली टोला, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया
3. श्री राकेश कुमार, पिता-जगरनाथ मंडल
   सा0-सलायगढ़, पो0-मदनपुर, थाना-अररिया
   जिला-अररिया..विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 4813/हि0शा0, दिनांक 01.11.2017) के आलोक में जोगबनी थाना कांड संख्या-152/17, दिनांक 17.09.2017 धारा-414/272/273 भा0द0वि0 एवं 30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त काला रंग का बजाज डस्कवर मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38C-8845, चेसिस संख्या-MDZDSPAZZTPG67581, ईंजन संख्या-JBUBTG56425 को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जोगबनी थाना कांड संख्या-152/17, दिनांक 17.09.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों 1. श्री राकेश केशरी उर्फ टनटन, पिता-तारूक कुन्दन, सा0-शांति चौक, तीन मंजिल, वार्ड नं0-13, विराटनगर (नेपाल) 2. श्री भोला पासवान, पिता-स्व0 महावीर पासवान, सा0-वार्ड नं0-24, बंगाली टोला, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया एवं 3. श्री राकेश कुमार, पिता-जगरनाथ मंडल, सा0-सलायगढ़, पो0-मदनपुर, थाना व जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि दिनांक 17.09.2017 को संध्या 17.00 बजे संध्या गश्ती के कम में सहायक अवर निरीक्षक शक्ति प्रसाद सिंह सरकारी जीप से सिपाही-309 विनोद पासवान, सिपाही 98 संदीप कुमार पासवान, सिपाही 295 घनश्याम कुमार चौकीदार 114 श्याम पासवान के साथ मीरगंज पुल के समीप वाहन चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के कम में विपक्षी मोटर साईकिल लेकर तेजी से पीछे घुमाकर भागना चाहा। विपक्षी को जवान के सहयोग से पकड़ा गया। दो साक्षी 1. अजय कुमार बहरदार, पिता-देव नारायण बहरदार, सा0-मीरगंज, वार्ड नं0-08, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया 2. मो0 युनुस, पे0-मो0 रियासत, सा0-दक्षिण महेश्वरी, वार्ड नं0-15, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के समक्ष विपक्षी की तलाशी ली गयी।	

अधिहरण वाद संख्या-124/2017-2018

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019		

विपक्षी की गाड़ी की डिक्की से दिलवाले 29 (उन्नतीस पीस) प्रत्येक 300 एम0एल0 बरामद हुआ। चेकिंग के कम में टेम्पू में सवार भोला पासवान, पिता-स्व0 महावीर पासवान, सा0-वार्ड नं0-24, बंगाली टोला, फारबिसगंज, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया उतर कर भागना चाह रहा था, जिसका तलाशी साक्षी से कराया गया। उस व्यक्ति के कमर से 13(पीस) नेपाल निर्मित देशी उमंगा शराब (प्रति 300 एम0एल0) का पाया गया। पकड़ाये गये व्यक्ति राकेश केशरी उर्फ टनटन से मोटर साईकिल के कागजात मांगने पर कुछ नहीं दिखा पाया तथा बताया कि कोई कागजात नहीं है। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, कय, विकय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग करना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरुप विपक्षी के विरुद्ध जोगबनी थाना काण्ड संख्या-152/17, दिनांक 17.09.2017, अंदर धारा- 414/272/273 भा0द0वि0 एवं 30(क)38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38C-8845 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल निबधन संख्या-BR-38C-8845 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार जोगबनी थाना कांड संख्या-152/17, दिनांक 17.09.2017 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-BR-38C-8845, चेसिस संख्या-MDZDSPAZZTPG67581, ईजन संख्या-JBUBTG56425 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1046/विधि, अररिया, दिनांक 21/5/2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

25.05.2019

जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)